

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / 340-24321 / से.नि / जोन-जयपुर / 2024 / 344 दिनांक- 14/5/24

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिक जिन्होंने राज्यसेवा में 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मेरसी जोन म.स्वा.कार्यकर्ता	कमाण्टेन्ड 8 वी बटालियन आरएसी (आईआर) गाजीपुर दिल्ली	30.05.1964	30.05.1984	31.05.2024

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / 509-27487 / से.नि / जोन-जयपुर / 2024 / 344
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. अधीक्षक महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट, जयपुर।
4. कमाण्डेन्ट 8 वी बटालियन आरएसी(आईआर) गाजीपुर दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक 5441-42 दिनांक 08.11.2023 के क्रम में।
5. संबंधित समस्त प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
6. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रशासनिक अधिकारी, टी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7105721

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-05-2024 10:16:53